Printing Inspector

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99 REGISTERED NO. D. L.—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण / प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 9, 2000/अग्रहायण 18, 1922
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 9, 2000/AGRAHAYANA 18, 1922

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2000

सा.का.नि. 489.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय एवं पदेन जनगणना आयुक्त, भारत एवं राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय (मुद्रण निरीक्षक), भर्ती नियम, 1987 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा साथ ही साथ राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में मुद्रण निरीक्षक के उक्त पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय (मुद्रण निरीक्षक) भर्ती नियम, 2000 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और कलकत्ता स्थित भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के भाषा प्रभाग में तथा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में स्थित जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय में मुद्रण निरीक्षक के पद पर लागू होंगे।

3235 GI/2000—1

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं :

बशर्ते कि सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उसके लिये जो भी कारण हों, उन्हें लेखबद्ध करके किसी भी कार्यालय में जिस पर ये नियम लागू होते हैं और जिसके लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी है उसकी बाबत, उक्त पदों में हुई किसी रिक्ति को किसी अन्य कार्यालय में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, उसी पद को धारण किये हुए किसी व्यक्ति के विलय द्वारा भरने का आदेश दे सकेगा बशर्ते कि विलयित किये जाने वाले व्यक्ति ने ऐसे विलय के लिए लिखित रूप से अनुरोध किया हो।

बशर्ते कि इस प्रकार विलयित व्यक्ति को उस ग्रेड में उन सभी व्यक्तियों से नीचे रखा जाएगा जो उस ग्रेड में पहले से ही नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हों।

5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन-सह-वरिष्ठता/गुणावगुण पद के अनुसार चयन अथवा अचयन है	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
मुद्रण निरीक्षक	*15 (2000) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150-8000-रुपये	चयन-सह-वरिष्ठता	लागू नहीं	25 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट है) टिप्पणी : आयु सीमा को अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनों की प्राप्ति के लिये अंतिम तारीख होगी (और वह असम, मेघालय,

296 (55)

7

अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला और पांगी सब डिवीजन, अण्डमान और द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिये निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से डिग्री 2. प्रूफ रिडिंग और टेक्नीकल मार्किंग सहित मुद्रण का कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। 3. डेस्क टॉप पब्लिशिंग का ठोस ज्ञान।	लागू नहीं	केवल सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय किया जायेगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा और दोनों के द्वारा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा (अल्पकालिक रिक्तियां केवल प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएगी)।	प्रोन्नति :— संबंधित कार्यालय में इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले प्रूफ रीडर या टेकनीकल सहायक (वेरो-टाइपिंग) प्रतिनियुक्ति:— केन्द्रीय/राज्य सरकारों के वे अधिकारी : जो (क) जो सदृश पद धारण किये हों या जिन्होंने 4500-7000 रुपये या समकक्ष वेतनमान में इन पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री प्राप्त हों, कालम 8 में सीधी भर्ती के लिये विहित अर्हताएं रखते हों। (ग) प्रूफ रीडिंग और मुद्रण कार्य में तीन वर्ष का अनुभव हो। (फीडर प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति

	12
	पर कार्यरत व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस में नियुक्ति से तुरन्त पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधी सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति पर विचार के लिये) : (1) उप-निदेशक अवर सचिव (प्रशासन) — अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक (प्रशासन) — सदस्य (3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी जो अधिमानतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। — सदस्य समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (कलकत्ता स्थित भाषा प्रभाग के लिये) : (1) उप महारजिस्ट्रार (भाषा) या सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) — अध्यक्ष (2) सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) या भाषाविद् या अनुसंधान अधिकारी (भाषा) या सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) — सदस्य (3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी, अधिमानतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो — सदस्य समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों स्थित संबंधित जनगणना निदेशकों का (कार्यालय के लिये) : (1) उप निदेशक जनगणना कार्य या सहायक निदेशक जनगणना कार्य या सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) — अध्यक्ष (2) उप निदेशक जनगणना कार्य या सहायक निदेशक जनगणना कार्य या सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) — सदस्य (3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी, अधिमानतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। — सदस्य	लागू नहीं।

[सं. ए. 12032/25/99 प्रशासन-2]

जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

New Delhi, the 20th November, 2000

G.S.R. 489.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Registrar General and ex-officio Census Commissioner for India and the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories (Printing Inspector) Recruitment rules, 1987 in except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Printing Inspector in the Office of the Registrar General, India as well as the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union territories namely.

1. Short title and commencement.—(1) These ruels may be called the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union territories (Printing Inspector) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the post of Printing Inspector in the office of the Registrar General India, Language Division of the said office of the Registrar General, India located at Calcutta, and each of the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said post, it classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule;

Provided that the appointing authority concerned may if it considers necessary or expedient so to do, having regard to the circumstances of the case and for reasons to be recorded in writing order any vacancy in the said posts in any of the offices to which he is the appointing authority to be filed by the absorption of a person holding the same post in any of the other offices to which these rules apply, when the person to be absorbed has made a request in writing for such absorption;

Provided further that the person so absorbed shall be placed below all person already appointed on regular basis to the grade to which he is appointed on such absorption.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouce living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by Order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit, and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection-cum-seniority/selection by merit or non-selection
1	2	3	4	5
Printing Inspector	15* (2000)	General Central Service Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Selection cum seniority

*Subject to variation dependent on workload.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits.
6	7	8
Not applicable	Upto 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islandes or Lakshadweep).	ESSENTIAL : (i) Degree from a recognised University or equivalent. (ii) Three years experience in printing work including proof reading and technical marking. (iii) Sound knowledge of Desk Top Publishing.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
9	10	11	12
Not applicable.	Two years for direct recruits only.	Promotion, failing which by deputation/absorption and failing both by direct recruitment. (Short term vacancies will be filled by promotion or deputation only).	Promotion : Proof reader or Technical Asstt. (Vary-Typing) in the respective office with three years' regular service in the grade. Deputation : Officers of Central/State Governments : (a) holding analogous post or with at least 3 years' regular service in posts carrying pay scale of Rs. 4500-7000 or equivalent. (b) Possessing degree from a recognised University or equivalent, qualifications prescribed for direct recruits in Col. 8. (c) Three years experience in proof reading and printing work. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

	12
	Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of recipet of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Staff Selection Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Deputy Director/Under Secretary (Admn.) —Chairman 2. Assistant Director (Admn.)—Member. 3. A Group 'A' officer of another Central Government office preferably belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Trbies—Member Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the Language Division at Calcutta): 1. Deputy Registrar General (Language) or Assistant Registrar General—Chairman (Language). 2. Assistant Registrar General (Language) or Linguist or Research Officer (Languages) or Assistant Director of Census Operation (Technical)—Member 3. A Group 'A' officer of another Central Government Office preferably belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the respective census Directors of Census Operation in States/Union territories): 1. Deputy Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical)—Chairman 2. Deputy Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical)—Member 3. A Group 'A' officer of another Central Government office preferably belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member	Not applicable

[F.No.-12032/25/99-Ad. II]

J. K. BANTHIA, Registrar General, India